न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.10 / प्रा.पत्र / 2023	16.01.2023	30.06.2025
(GCMS No. 2023 / 16)		

श्रीमती रसना पत्नी राकेश जाति मीणा,
निवासी ग्राम सथूर, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

— याची

बनाम

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
   जर्ये सहायक अभियन्ता, ज.वि.वि.नि.लि. हिण्डोली जिला बून्दी।
2. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
   जर्ये अध्यक्ष / प्रबन्ध संचालक, ज.वि.वि.नि.लि. जयपुर।

— विपक्षीगण

याचिका अन्तर्गत नियम 1 (A) (B) द वर्कस ऑफ लाईसेन्सी रूल्स, 2006
वास्ते रोके जाने बिजली के खम्भे लगाये जाने से

उपस्थित—
याची की ओर से श्री श्रीनाथ किशोर गुप्ता, एडवोकेट।
विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से श्री भूपेन्द्र सहाय सक्सैना, एडवोकेट।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाये गये द वर्कस ऑफ लाईसेन्सी रूल्स, 2006 के नियम 1 (ए) व (बी) के अन्तर्गत पेश किया गया। याचिका में याची द्वारा विपक्षीगण को उसकी खातेदारी की भूमि पर विद्युत खम्भे नहीं रोपे जाने तथा उस पर विद्युत लाईन नहीं डाली जाने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 10/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/16 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। विपक्षीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये। विपक्षीगण की ओर से दिनांक 04.07.23 को जवाब पेश किया जाकर बिना किसी आधार व सबूत के पेश की गई याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि याची की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 1055 में से 01 बिस्वा एवं खसरा सं. 2223 रकबा 13 बिस्वा वाकेग्राम सथूर में है जो जर्ये पंजीकृत विलेख प्रभूलाल आ. देवा जाति माली निवासी सथूर से क्रय की थी। विपक्षीगण खम्भे लगाकर लाईन डालकर विद्युत वितरण का कार्य करते है। इस हेतु विद्युत अधिनियम,2003 बना हुआ है। उक्त अधिनियम की धारा 176(2) सपठित धारा 67(2) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा ''द वर्कस ऑफ लाईसेन्सीज रूल्स, 2006'' बनाये हुये है, जो वर्तमान में प्रभावी है। विपक्षीगण द्वारा याची की खातेदारी की भूमि पर बिना याची की अनुमति के खम्भे गाड कर विद्युत लाईन डालना चाहते है एवं इस हेतु किसी ठेकेदार के माध्यम से जबरन कार्य करना चाहते है, जबकि उक्त भूमि पर खम्भे गाडने एवं विद्युत लाईन डालने से याची सहमत नहीं है और न ही याची ने पूर्व में सहमति दी है। विपक्षीगण द्वारा न तो जिला मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति ली गई और न ही किसी प्रकार का वार्षिक किराया अथवा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कराया है और न ही इस हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण लीगल ओक्यूपायर याची को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विपक्षीगण को उसके स्वामित्व की भूमि पर बिना उसकी अनुमति के खम्भे गाडने एवं खम्भों पर लाईन डालने से रोके तथा श्रीमान से इस हेतु पाबन्द करवाये। अतः याची की याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि आवेदन में अंकित भूमि पर किसी प्रकार के खम्भे नहीं रोपे जावे तथा उस पर विद्युत लाईन नहीं डाली जावे।

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि कई वर्षो पूर्व से ही स्थापित दो विद्युत लाईनों जिनमें से एक बून्दी 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन से 33 के.वी. सब स्टेशन सथूर के लिए आ रही विद्युत लाईन जो वर्षो पूर्व से ही क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवा रही है, दूसरी 11 के.वी. जेल फीडर की विद्युत लाईन जो राजकीय कारागृह बून्दी की स्थापना के समय से ही राजकीय कारागृह को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवा रही है, में से प्रत्येक का एक–एक पोल उक्त कृषि भूमि पर वर्षो पूर्व से ही स्थापित है। वर्तमान में किसी प्रकार से कोई नवीन खम्भे गाडकर याचिकाकर्ता की कृषि भूमि पर कोई नवीन विद्युत लाईन नहीं खीची जा रही है।

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा बहस के दौरान आगे कथन किया कि वर्तमान में जल संसाधन विभाग द्वारा सथूर माताजी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संचालन हेतु आवेदित विद्युत कनेक्शन की स्थापना हेतु 11 के.वी. विद्युत लाईन की स्थापना का कार्य विपक्षी जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा किया जा रहा है, उक्त विद्युत लाईन एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिगृहित भूमि पर ही खम्भे व टावर गाडकर खीची जा रही है, जिसका कोई खम्भा या टावर याचिकाकर्ता की कृषि भूमि पर स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी आधार व सबूत के महज सार्वजनिक उपयोगी कार्य में अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से यह याचिका पेश की गई है जो विशेष हर्जाना सहित निरस्त की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ''द वर्कस ऑफ लाईसेन्सीज रूल्स, 2006'' पेश किया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 1055 में से 01 बिस्वा एवं खसरा सं. 2223 रकबा 13 बिस्वा वाकेग्राम सथूर पर विपक्षीगण द्वारा विद्युत खम्भे नहीं रोपे जाने तथा उस पर विद्युत लाईन नहीं डाली जाने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। याचिका का नोटिस प्राप्त होने पर कनिष्ठ अभियंता, जयपुर डिस्कॉम हिण्डोली द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण कर तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2023 में अंकित किया है कि एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर वर्तमान में सथूर माताजी लिफ्ट परियोजना के लिए आवेदित विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत लाईन खीचने का कार्य किया जा रहा है। उक्त सथूर माताजी लिफ्ट परियोजना के लिए आवेदित विद्युत कनेक्शन हेतु खीची जा रही उक्त विद्युत लाईन का कोई पोल अथवा टावर प्रार्थी की कृषि भूमि पर स्थापित नहीं हैं, अपितु उक्त विद्युत लाईन के पोल एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर खीची जा रही है। उक्त मौका रिपोर्ट के खंडन में प्रार्थी की ओर से न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये और न ही कोई शपथ पत्र पेश किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सथूर माताजी लिफ्ट परियोजना हेतु ग्राम सथूर में स्थापित की जा रही नवीन विद्युत लाईन का कोई पोल या टावर प्रार्थी की कृषि भूमि में नहीं लगाया गया है। अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा दौराने बहस बताया गया कि उक्त विद्युत लाईन का कोई पोल या टावर प्रार्थी की कृषि भूमि पर लगाया जाना प्रस्तावित भी नहीं है। इस हेतु प्रार्थी को विद्युत विभाग की ओर से वार्षिक किराया या क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करवाया जाकर प्रार्थी को भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जिला कलक्टर, बूंदी

विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त कृषि भूमि पर वर्षो पूर्व से 02 विद्युत पोल स्थापित होना स्वीकार किया गया है। हालांकि उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदार प्रभूलाल पुत्र देवा जाति माली की खातेदारी में स्थित हैं तथा खातेदार प्रभूलाल द्वारा उक्त विद्युत पोल लगाते समय किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि बाबत कोई आवेदन तत्समय पेश किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुआ है। प्रार्थिया द्वारा उक्त कृषि भूमि दिनांक 18.02.2020 को क्रय की गई है, ऐसी स्थिति में काफी वर्षो पूर्व स्थापित विद्युत पोल के लिए प्रार्थिया किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार से कोई नवीन खम्भे गाडकर याचिकाकर्ता की कृषि भूमि पर कोई नवीन विद्युत लाईन नहीं खींची जा रही है। ऐसे में विपक्षीगण को इस कार्य हेतु रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है, किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में यदि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार का विद्युत पोल या टावर स्थापित किया जाता है तो विभागीय नियमानुसार इस संबंध में किराया या क्षतिपूर्ति राशि देय हो तो हितबद्ध व्यक्ति को नियमानुसार भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी